"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2008—अग्रहायण 14, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2008

क्रमांक ई-7/4/2007/1/2.—श्री आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से. को दिनांक 16-10-2008 से 01-11-2008 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02-11-2008 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री आर. प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. प्रसन्ना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

क्रमांक/2352/2286/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-2074/2286/32/2007 दिनांक 10-10-2008 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुरखास (रामसागर पारा वार्ड)	385/1, 2-3 एवं 386, 387 का भाग	118280.00 वर्गफुट	एफ. ए. आर. 2.00	एफ. ए. आर. 2.38
		कुल योग	**118280.00 वर्गफुट**	-	-

सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर को आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2008

क्रमांक 3555/तक-294/टीसी/2008.—मोटरयान अभिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-53/दो/आठ-परि./02, दिनांक 01-06-2003, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सरल क्र. 1 के सम्मुख कालम नं. (स्तम्भ क्र.) (2), (3) तथा (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

स. क्र.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा	प्रशमन की रकम रुपये में	
		प्रथम अपराध के लिए	द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए लागू
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 177, अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध-मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमों के समस्त अपराध जो इस अनुसूची में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट नहीं है.	200.00	500.00

Raipur, the 24th November 2008

No. 3555/तक-294/टीसी/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following further amendment in this Department Notification No. F-5-53/Two/viii-Tr./02, dated 1st June, 2003, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, for the entries in column number (2), (3) and (4) against serial number 1, the following entries shall be substituted, namely :—

S. No.	Section of the Motor Vehicle Act, 1988	Amount of Composition in Rupees	
		For First offence	For Second or subsequent offences applicable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section 177-General provision for punishment of offences-All offences of the Motor Vehicle Act and Central Motor Vehicle Rules not specified in this Schedule hereafter.	200-00	500-00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलपहरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
36/1	2.70
36/2	0.50
37	0.36
96	0.27
350/1	0.21
354/1	0.52
354/2	0.13
355	0.26
360	0.11
390	0.45
391/1	0.20
391/2	0.20
391/3	0.20
391/4	0.20
392/1	0.14
392/2	0.27
393	0.26
394	0.12
395	0.31

(1)	(2)
396/1	0.95
404/1	0.12
404/2	0.12
404/3	0.13
405	0.27
योग	9.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदीकला, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.10 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
239/1	2.00
1616/2	2.00
1565	0.70
1566/1	0.76
1564/1	0.35
1563/1	0.41
1563/2	0.20
1561/1	0.25
1561/2	0.25
1560	0.15
1559/1	0.20
1559/2	0.20
1549	0.52
1546/1	0.40
1545	0.40
1544/1	0.40
1544/2	0.93
1543	0.40
1524/1	0.22
1524/2	0.22
1523	0.57
1522	0.85
1520/1	0.10
1520/2	0.40
1516/1	0.82
1516/2	0.30
1015	0.70
1512/1	0.46
1511/1	0.45
1070	1.75
1071	0.30
1068/1	0.50
1067	0.40
1066/2	0.45
1066/4	0.08
1064	0.13
1052	0.33
1045/1	0.20
1057/1	0.20
1045/2	1.00
1045/3	0.40
1045/4	0.22
1046	0.26
1047	0.40
1048	0.15
1029/2	0.46
1028/1	0.33
1028/3	0.35
1023/1	0.72
1023/2	0.75
1024/1	0.15
1025/1	0.08
1870/1	0.45
1853/1	0.09

(1)	(2)
1866/1	0.45
1856/1	1.00
योग	27.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.15 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
281/1, 283/2	0.72
281/4, 282/1	0.55
285/1	0.05
285/2	0.20
294/1	0.50
295/1	0.48
295/2	0.24
302	0.22
304/2	0.58
304/3	0.58
304/5	0.42
305/2	1.90
306	0.50
317	0.15
318	0.40
304/1	0.44
319	0.20
320	0.22
321	0.28
322/2	0.20
322/3	0.22
324	0.08
326, 327	0.64
328, 332	0.34
329	0.62
346/1	0.69
346/2	0.19
348	0.09
353	0.45
योग 29	12.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धूमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
262	0.11
265	0.41
266	0.09
267/1	0.10
267/2	0.22
267/3	0.12
337/1	0.50
337/2	0.08
337/3	0.44
337/4	0.36
337/5	0.11
340	0.19
342	0.02
343	0.44
344	0.17
388	0.05
389	0.08
390	0.24
391	0.57
414	0.08
415	0.07
416	0.20
417	0.35
420	0.34
421	0.25
424	0.15
425	0.05
426	0.20
427	0.17
428	0.07
429	0.30
432	0.29
433	0.15
435	0.03
436	0.25
437	0.02
499/1	0.06
501	0.49
502	0.13
503	0.03
504/1	0.38
504/2	0.34
504/3	0.50
505/1	0.12
505/2	0.04
506/1	0.50

(1)	(2)
506/2	0.22
528/1	0.23
528/2	0.20
529/2	0.10
529/3	0.11
530/1	0.82
614/3, 5	0.13
614/6	0.14
615/1	0.60
615/2	0.60
615/3	0.60
615/4	0.60
624	0.80
806	0.38
25	0.03
26	0.13
27	0.18
28/1	0.42
28/2	0.13
68	0.15
69	0.64
70	0.11
71	0.05
72	0.05
76	0.36
77	0.07
78	0.08
81	0.19
82	0.13
83	0.05
84	0.15
92	0.21
93	0.25
94	0.12
95	0.50
102	0.27
14	0.10
15	0.25
17	0.90
28	0.30
योग	21.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-कड़ार, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-40.07 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
341/1	0.11
341/2	0.10
341/3	0.10
343	0.45
344	0.05
346/1	0.13
346/4	0.13
338/2	0.25
338/3	0.05
337/1	0.35
336	0.25
330/2	0.40
330/4	0.05
386/6	0.60
386/14	0.10
386/11	0.15
386/5	0.22
386/12	0.15
386/13	0.05
386/8	0.40
386/15	0.15
386/16	0.05
386/17	0.15
386/7	0.35
386/4	1.00
386/28	0.50
306	0.22
294	0.08
295	0.30
386/1	0.15
386/3	0.12
386/9	0.16
296	0.20
297	0.15
263/6	0.20
263/11	0.10
263/4	0.35
263/13	0.06
263/7	0.20
263/9	0.25
263/14	0.05
263/15	0.40
277/1	0.30
278/1	0.10
278/2	0.10
291/1	0.20
298/1	0.15
274	0.14
275	0.18
276	0.25
293/1	0.15
279/1	0.50
279/2	0.45
260/3	0.10
260/4	0.40
260/2	0.15
272	0.25
274	0.15
193/1	1.46
193/4	0.82
164	1.90
178	0.20
179	0.16
180	0.86
186/1	1.02
187	0.06
188	1.15
189	0.30
557/1	0.61
556/1	0.18
556/2	0.11
561	1.64

(1)	(2)
563/1	0.37
564	0.50
565/1	0.36
565/2	0.39
565/5	0.62
565/6	0.37
20	0.74
21	0.15
22	0.41
34	0.26
35	0.26
36	0.20
37	0.28
38/1	0.05
38/2	0.32
42	0.26
39	0.26
40	0.18
41	0.06
86/2	0.06
87	0.30
88	0.28
89	0.20
90	0.39
94	0.12
95	0.63
96	0.20
107	0.12
108/1	0.45
108/2	0.45
109	0.36
174	1.90
175	0.29
207/4	0.55
241/5	0.50
235/2, 234	0.45
236	0.10
237	0.20
253/2	0.63
254	0.45
217	0.06
218	0.39
219	0.30
221	0.49
222/1	0.24
222/2	0.20
235/1	0.25
238	0.05
255	0.10
योग	40.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-सलका, प. ह. नं. 78
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-173.782 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
115/1	3.540
115/2	0.080
115/3	0.480
118	0.430
119	0.250

(1)	(2)	(1)	(2)
120	0.480	147	0.170
121/1	0.100	148	0.550
121/2	0.100	150	1.200
121/3	0.200	153	0.530
121/4	0.240	154	16.960
122/1	0.100	155	0.800
122/2	0.340	156	0.900
122/3	0.240	158	2.780
122/4	0.600	159	0.220
122/5	0.490	161	0.630
122/6	0.070	162	0.280
122/7	0.170	163	0.270
122/8	0.400	165/1	0.090
123	0.200	165/2	0.080
124/1	0.600	166	0.260
124/2	0.110	167	0.310
124/3	0.400	169	0.430
124/4	0.200	170	0.900
124/5	0.080	173	0.72
124/6	0.020	179	2.268
124/7	0.400	478	0.225
125/1	1.970	479	0.585
125/2	0.650	483	0.680
125/3	0.650	493	0.055
125/4	0.660	494/1	0.208
126	0.100	494/2	0.208
127	0.090	494/3	0.216
128	0.090	496/1	0.100
129	0.120	496/2	0.100
130	2.050	496/3	0.100
131	0.180	497	0.260
132	0.070	498	0.300
133/1	1.790	499	0.048
134	0.210	500	0.020
135/1	0.600	523	0.800
135/2	0.400	524	0.180
135/3	0.310	526	0.400
135/4	0.300	527	0.225
135/5	0.400	528	0.345
139	0.730	529	0.852
140	1.150	530	1.352
141	0.710	531	0.870
142	1.570	532/1	0.560
143	0.310	532/2	0.180
144	0.130	532/3	0.190
145	0.100	532/4	0.190
		533	0.420

(1)	(2)
534	0.490
535	3.010
536	0.520
537	0.380
538/1	0.070
538/2	0.060
538/3	0.060
539	3.650
540	1.340
541	0.590
543	0.350
544	0.240
547/1	0.730
547/2	0.740
547/3	0.730
548	0.400
549/1	1.140
549/2	0.170
549/3	0.080
550	0.520
551	2.090
552	0.200
553	0.130
554	1.100
555	3.100
557	0.250
558	0.220
559	0.580
561	0.740
562	0.090
565	0.400
566	0.600
567	0.850
570	5.580
571	0.010
573	0.050
575/1	0.330
575/2	0.270
576	0.140
577/1	0.330
577/2	0.190
578	0.270
579	0.260
580	2.990
581	0.400
582/1	0.670
582/2	0.670
582/3	0.660
583	0.230
584	0.210
585	0.110
586	0.310
587	0.680
588	1.430
589	0.270
590	0.200
591/1	0.140
591/2	0.050
591/3	0.050
591/4	0.050
592	0.300
593	0.150
594	0.180
595	0.250
596	0.150
597	0.910
598	0.160
599/1	0.050
599/2	0.030
600	0.160
601	0.160
602	0.250
604	0.250
605	0.250
606	0.720
607	0.270
608	0.520
609	5.930
610	0.100
611	0.270
612	0.410
613/1	0.360
613/2	0.360
613/3	0.350
614	0.120
615/1	0.120
615/2	0.120
615/3	0.120
616	2.070
617	1.260
618	0.600
619/1	0.380
619/2	0.200
620	0.990

(1)	(2)	(1)	(2)
621	0.180	705/3	0.336
622	0.210	706	1.700
623	0.240	708	0.900
624	0.260	788	0.925
625	2.310	789	0.750
626	0.110	790	0.230
627/1	0.590	791/02	0.490
627/2	0.120	792	0.180
628	0.220	793	0.550
629	0.160	794	0.410
630/1	0.100	795	0.540
630/2	0.100	796	0.770
632	0.180	797	0.140
633	0.370	800	1.145
638	0.100	974	0.360
639	0.150	975	0.180
641	0.042	976	0.200
643	0.490	977	0.300
646	0.595	978	0.730
651	0.110	979	0.048
653	0.690	980/01	0.440
654	2.060	980/02	0.100
658	0.720	981	0.380
659	0.910	982	0.270
660	0.010	983	0.600
661	2.020	984	0.200
662	0.410	985/1	0.130
663/1	1.950	985/3	0.063
663/2	0.400	986	0.240
665	0.200	987	0.440
666	1.300	988	0.160
667	0.420	989	0.160
669	0.560	990	0.100
670/1	1.290	1011	0.050
670/2	1.680	1012	0.180
671	1.251	1013	0.240
671/2	0.120	1054	0.090
695	0.010	1055	0.090
697	0.188	1065/01	0.060
698/1	0.240	1065/02	0.060
700	0.320	1067	1.310
701	0.320	1068	1.200
702	0.450	1069	0.220
703/1	0.170	1069/1	0.300
703/2	0.180	1070	0.210
704	0.810	1071	0.770
705/1	0.336	1072	0.470
705/2	0.336	1073	0.420

(1)	(2)
1075/1	0.460
1077/01	0.430
1077/02	0.360
1078	0.110
1079	0.110
1080	0.120
योग 294	173.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मे. वा. प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणपुर, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-60.681 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.571
3	0.945
4/1	1.023
4/2	0.405
5	0.603
6	0.304
10	0.057
11	0.198
12	0.231
13	0.174
14	0.129
15/2	0.142
15/3	0.272
15/4	0.356
15/5	0.162
15/6	0.182
15/7	0.149
15/8	0.460
15/9	0.237
15/10	0.278
15/11	0.278
15/12	0.259
15/13	0.506
15/17	0.710
15/18	0.236
16	0.498
17	0.959
20/1	0.638
20/2	0.637
21	0.101
22/2	0.105
22/4	0.413
23	0.183
24	0.016
25	0.559
26	0.020
28	0.425
29	0.793
30	0.166
31	0.057
32	0.243
33	0.753
34	0.295
35	0.636
36	0.482
37/3	0.744
37/4	1.003
37/5	0.278
37/7	0.648
37/8	1.574
37/12	0.324
37/13	0.594
37/14	0.608

(1)	(2)	(1)	(2)
37/15	0.162	82	0.085
37/18	0.071	84	0.798
37/20	0.006	85	0.656
37/21	0.873	86	0.478
37/22	0.647	87	0.174
42	0.180	88	1.287
43	0.079	89	0.097
44	0.814	90	0.069
45	0.227	91	0.376
46	0.502	92	0.049
47	0.057	93	0.016
48	0.210	94	0.344
49	0.081	95	0.320
50	0.223	97	0.085
51/1	0.093	98	0.109
51/2	0.053	99/1	0.101
51/3	0.044	99/2	0.101
52	0.841	99/3	0.102
53	0.121	100	0.874
55/1	0.222	104	0.263
55/2	0.223	105	0.069
56	0.595	106	0.150
57/1	0.113	108	0.732
57/2	0.862	109	0.432
58	0.498	110	0.429
59	0.364	112	0.040
60/1	0.261	113	0.077
60/2.	0.095	114	0.081
61/1	0.093	115	0.089
61/2	0.089	116	0.219
62	0.170	118	0.202
64	0.113	119/1	0.020
66	0.186	119/2	0.020
67/1	0.417	119/3	0.033
67/2	0.208	120	0.032
69	0.134	121	0.182
70	0.166	122	0.130
71	0.065	123/1	0.023
72	0.049	123/2	0.046
73	0.073	124/1	0.046
74	0.271	124/2	0.046
75	0.299	125	0.093
76	0.194	128	0.024
77	0.295	129/1	0.576
78	0.287	129/2	0.259
80	0.486	130	0.206

(1)	(2)
131	0.454
132	0.233
133	0.366
134	0.061
136/1	0.266
136/2	0.532
138/2	0.162
138/3	1.105
138/4	0.506
138/5	0.020
138/6	0.194
138/7	0.012
138/9	0.037
138/11	0.020
138/12	0.020
138/16	0.008
138/17	0.203
305	0.166
306	0.336
307	0.178
308	0.061
309	0.134
310/1	0.182
310/2	0.243
311	0.085
312	0.393
313/1	0.421
313/2	0.420
314	0.213
315/3	0.040
315/4	0.421
316/1	0.381
316/2	0.231
317	0.338
339	0.043
340/2	0.272
340/3	0.097
341	0.020
342	0.243
343	0.057
343/711	0.081
344/2	0.511
344/3	0.450
345	0.041
347	0.016
348	0.027
430	0.025
431/2	0.012
431/3	0.134
431/5	0.077
431/9	0.049
432	0.312
433/1	0.532
433/2	0.500
434	0.721
435	0.109
436	0.474
437	0.336
439	0.069
440	0.502
442	0.243
443	0.275
444	0.247
445	0.166
447	0.227
योग 213	60.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मे. वा. प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

रा. प्र. क्र./3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कलमुण्डा, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-101.406 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	(1)	(2)
17/3	0.081	73	0.073
17/4	0.486	74	0.020
17/5	0.032	75	0.061
17/6	0.150	76	0.117
17/7	0.081	77	0.182
38/1	0.154	78	0.024
38/2	0.154	79	0.571
41	0.045	81	0.235
42	0.174	82	0.356
43	0.219	84/2	0.231
44	0.032	84/3	0.610
45	0.077	84/4	0.178
46	0.008	84/5	0.129
47	0.109	84/6	0.121
48	0.065	85	0.049
49	0.182	86	0.065
50	0.166	87/2	0.008
51	0.032	87/3	0.214
52	0.045	88	0.049
53	0.028	89	0.109
54	0.182	90	0.142
55	0.397	91	0.077
56	0.304	92	0.040
58	0.069	93/1	0.103
59	0.085	93/2	0.161
61	0.271	94	0.162
62	0.287	95	0.263
63/2	0.210	96	0.121
64/1	0.739	97	0.057
64/2	0.375	98	0.117
64/3	0.375	99	0.170
65	0.652	100/2	0.227
66/1	0.279	101	0.065
66/2	0.081	102	0.077
67	0.081	103	0.024
68/2	0.332	104	0.008
68/3	0.340	105	0.045
68/5	0.368	106	0.182
68/7	0.970	107	0.121
68/9	0.105	108	0.057
68/10	0.340	109	0.008
69	0.498	110	0.239
70	0.081	111	0.088
71	0.510	112/2	0.049
72/2	0.275	112/3	0.040
		113	0.053
		114/1	0.292
		115	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
116/2	0.032	153	0.206
116/3	1.214	154	0.263
116/4	0.069	156/1	0.405
117	0.494	156/2	0.376
118	0.806	157	0.458
120	0.073	158	0.385
121	0.125	159	0.760
122/2	0.210	160	0.179
122/4	0.810	161	0.526
122/5	1.269	163/1	0.324
122/6	0.113	163/2	0.210
122/7	0.729	165	0.089
123	0.101	166	0.045
124/2	0.134	167	0.214
124/3	0.049	169	0.069
124/4	0.400	170	0.150
125	0.125	171/2	0.545
126	0.219	172	0.069
127	0.186	173	0.089
128	0.178	174	0.077
129	0.028	175	0.239
130/2	0.065	176	0.093
130/3	0.144	177/2	0.020
131	0.291	177/3	0.129
132/2	0.526	178	0.227
133	0.632	181	0.178
134	0.441	182	0.190
135/2	0.202	184	0.061
135/3	0.284	185	0.069
135/4	0.912	187/1	0.317
135/5	0.181	187/2	0.400
136	0.024	189	0.291
137/1	0.233	190	0.049
137/2	0.233	192	0.040
138	0.016	193	0.113
139	0.036	194	0.231
141	0.166	195	0.680
142	0.202	196	0.142
143	0.089	197	0.187
144/1	0.259	198	0.024
144/2	0.109	199	0.085
145	0.073	200	1.189
147	0.267	200/871	0.073
148	0.032	202	0.118
149	0.097	203	0.078
151	0.194	205	0.121
152	0.304	208	0.129

(1)	(2)	(1)	(2)
209	0.073	258/2	0.583
210	0.134	258/3	0.454
211	0.235	260/1	0.579
214/1	1.012	260/2	0.101
214/2	0.405	261/2	0.308
214/3	0.202	262/2	0.421
215	0.097	262/3	1.350
216	0.251	262/4	0.144
217	0.081	263/1	0.093
219	0.061	263/2	0.093
221	0.083	264	0.567
222	0.016	266	0.486
224	0.049	267	0.142
226	0.032	269	0.186
227	0.040	270	0.283
230/1	0.248	271	0.138
230/2	0.303	272	0.134
231	0.028	273	0.688
232/1	1.405	274/1	0.091
232/2	0.809	274/2	0.091
232/3	0.040	275/1	0.441
233	0.202	276	0.234
234	0.259	278	0.142
235	0.032	279	0.292
236	0.336	280	0.214
237	0.816	281	0.063
238	0.029	282	0.518
240	0.340	284	0.019
241	1.084	292	0.020
242/1	0.150	293	0.202
242/2	0.526	296	0.335
243	0.381	298	0.020
244	0.113	299	0.073
245/1	0.243	300/1	0.061
245/2	0.283	301	0.117
247/1	0.101	302	0.057
247/2	0.373	303	0.093
247/872	0.081	304	0.490
248	0.024	305/8	0.725
249	0.081	305/5	0.093
250	0.093	306	0.442
251	0.591	307	0.057
253	0.182	308	0.085
254	0.142	309	0.069
256	0.636	310	0.162
257	0.425	311	0.049
258/1	0.445		

(1)	(2)	(1)	(2)
312	0.206	370/869	0.146
320	0.032	372	0.154
321	0.024	373	0.607
322	0.240	374	0.259
323	0.280	376	0.202
324	0.202	377	0.202
324/864/1	0.304	378	0.340
324/864/2	0.498	379/1	0.202
325	0.308	379/2	0.202
326	0.134	381	0.368
327	0.053	382/1	0.154
328	0.032	382/1	0.154
330	0.049	382/2	0.154
331	0.283	382/3	0.142
332	0.028	382/1	0.154
333	0.129	383/1	0.141
334	0.040	383/2	0.142
335	0.040	384	0.190
336	0.551	385	0.251
337	0.170	386	0.202
339	0.053	387	0.194
340/1	0.275	388	0.166
340/2	0.276	389	0.081
341	0.081	390	0.287
342/2	0.357	392	0.930
343	0.101	394	0.077
345	0.500	395	0.109
346	0.040	396	0.413
347/2	0.200	397/1	0.200
347/3	1.619	397/2	0.124
347/4	0.265	399	0.049
348	0.142	400	0.372
349/1	0.329	401	0.295
349/2	0.623	402	0.299
358	0.275	403	0.081
359	0.486	404	0.170
360	0.073	406	0.231
361	0.101	407	0.097
362	0.069	408	0.040
363	0.458	409	0.097
364	0.049	411	0.040
366	0.077	412	0.081
367	0.081	413/1	0.291
368	0.362	416	0.129
369	0.020	417/1	0.195
370	0.113	417/2	0.129
		418	0.260
		419	0.049
		420	0.069

(1)	(2)
421	0.151
423/1	0.239
423/2	0.202
424/1	0.187
424/2	0.081
424/3	0.283
424/4	0.040
426	0.198
437	0.085
438	0.040
439	0.049
445/1	0.081
445/3	0.052
451	0.073
452	0.069
454	0.024
455/1	0.445
455/2	0.405
456	0.081
457/1	0.150
457/2	0.146
458	0.075
469	0.543
470	0.053
471	0.045
472/1	0.089
472/2	0.162
473	0.04
474	0.081
475	0.036
476	0.041
477	0.061
478/2	0.073
478/3	0.311
479	0.227
480	0.214
481	0.040
482/1	0.024
482/2	0.032
483	0.117
484	0.093
485	0.223
486	0.140
488/1	0.121
488/2	0.129
537/1	0.030
537/2	0.203
537/3	0.182
538	0.243
539	0.040
540	0.081
541	0.070
550	0.125
551	0.073
552	0.069
553	0.101
555	0.267
255/2	0.559
775	0.458
777	1.165
778	0.777
779	0.777
780	0.085
781	0.310
782	0.186
783	0.055
784/1	0.029
784/2	0.029
785/1	0.291
785/2	0.861
807/1	0.056
807/3	0.064
811	0.255
812	0.228
814	0.316
406/873	0.154
योग 451	101.406

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मे. वा. प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

रा. प्र. क्र./4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुंडगांव, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-57.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.352
1/3	0.202
2/1	0.415
2/2	0.132
2/3	0.405
2/4	0.203
3/1	0.179
3/2	0.057
3/3	0.071
3/4	0.119
6/2	0.069
6/5	0.010
6/6	0.101
6/7	0.045
6/8	0.010
6/9	0.010
6/10	0.010
6/11	0.010
6/12	0.010
6/13	0.087
6/14	0.014
7	0.308
9	0.223
10	0.563
11	0.295
12	0.668
13	0.530
14	0.085
15	0.324
16	0.077
17	0.227
18	0.170
19	0.518
20	0.096
21	0.498
22	0.186
23	0.049
24	0.688
25	0.413
26	0.065
27	0.146
28	0.146
29	0.117
30	0.105
31	0.534
32	0.142
33	0.081
34	0.631
35	0.101
36/1	1.497
36/2	0.747
36/3	0.749
45/1	0.213
45/3	0.010
46/1	0.069
46/2	0.065
47	0.065
48	0.522
49/2	0.182
49/3	0.259
49/4	0.032
49/5	0.024
49/6	0.036
49/7	0.061
49/8	0.069
49/9	0.005
49/10	0.069
49/11	0.729
50	0.243
52	0.316
53	0.125
54	0.077
55	0.024
56	0.085
57	0.020
58	0.053
59	0.085
60	0.344
61	0.316
62/1	0.235
62/2	0.081
63	0.129
64	0.117

(1)	(2)	(1)	(2)
65	0.462	112/1	0.061
66	0.210	112/2	0.060
67	0.101	113/1	0.600
68	0.107	113/2	0.076
68/1041	0.081	113/3	0.186
69	0.049	114	0.113
70	0.105	115	0.422
71	0.344	116	0.360
72	0.773	117	0.713
73	0.344	118	0.101
73/1037	0.049	119	0.518
74	0.299	120	0.117
75	0.093	121	0.450
76/1	0.231	122	0.053
76/2	0.405	123	0.021
77	0.162	124	0.130
78	0.255	131	0.184
79	0.158	132	0.008
80	0.316	133	0.065
81	0.223	134	0.045
82	0.117	166	0.152
83	0.081	175/1	0.053
84	0.231	175/2	0.051
85	0.012	175/3	0.051
86	0.085	180/1	0.097
87	0.239	180/2	0.097
88	0.105	180/3	0.118
89	0.134	181	0.069
90	0.047	182/1	0.061
95	0.037	182/2	0.060
99	0.231	182/3	0.081
100	0.057	183	0.077
101	0.188	184/1	0.045
102/1	0.156	184/2	0.016
102/2	0.156	185	0.174
103	0.668	186	0.105
104	0.206	187	0.206
105	0.194	188	0.150
106	1.222	189	0.149
107	0.166	192/1	0.137
108	0.271	192/2	0.015
109	0.101	193	0.065
110	0.352	194	0.060
111/1	0.096	195	0.053
111/2	0.095	196	0.186
111/3	0.190	197	0.235
		198	0.186

(1)	(2)	(1)	(2)
199	0.235	302/4	0.081
200	0.077	302/5	0.437
201	0.096	302/1042	0.129
202/1	0.123	303	0.695
202/2	0.124	304	0.077
203	0.202	305	0.865
204	0.117	307/1	0.040
205	0.202	307/2	0.040
206	0.182	307/3	0.041
207/1	0.015	308	0.223
207/2	0.016	309	0.061
207/3	0.016	310	0.170
207/4	0.015	311	0.393
207/5	0.015	312/1	0.125
207/6	0.016	313	0.360
208	0.101	314/1	0.081
209	0.105	314/2	0.077
210	0.044	314/3	0.081
220	0.015	315	0.259
221	0.020	316	0.158
227	0.117	317	0.162
228	0.162	318	0.275
233	0.099	319	0.372
234	0.202	320/1	0.065
235	0.125	320/2	0.060
236	0.186	320/3	0.065
280	0.495	321	0.109
281	0.048	322	0.348
290	0.580	323	0.263
291	0.509	324	0.162
292	0.376	325	0.441
293	0.628	326	0.142
294	0.162	327	0.308
295/1	0.077	328/2	0.002
295/2	0.081	328/3	0.008
296	0.267	328/4	0.055
297	0.158	328/5	0.027
298	0.117	328/6	0.103
299	0.316	328/7	0.065
300/1	0.874	328/8	0.002
300/2	0.121	328/9	0.004
300/3	0.280	328/10	0.028
301	0.429	328/11	0.046
302/1	0.170	328/12	0.030
302/2	0.089	328/13	0.048
302/3	0.113	328/16	0.030

(1)	(2)
328/18	0.038
328/20	0.056
328/21	0.009
328/22	0.037
328/23	0.002
328/24	0.002
328/25	0.002
328/26	0.002
328/27	0.002
328/28	0.004
328/29	0.004
328/30	0.004
328/31	0.004
328/32	0.004
330/1	0.408
331/1	0.089
331/2	0.089
331/3	0.080
331/4	0.045
331/5	0.036
332	0.170
333	0.182
334/1	0.441
335	0.514
336	0.474
337	0.607
338/1	0.285
338/2	0.091
338/3	0.381
339	0.081
394	0.235
402	0.081
403	0.460
404	0.400
106/1031	0.073
योग 297	57.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मे. वा. प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 7 नवम्बर 2008

क्रमांक 12269/अधीक्षक/2008.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक-बी/1-5/2008/एफ/4, रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008 के द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थानांतरण/पदस्थापना तथा आदेश क्रमांक ई-01-01/2008/ एक/2 01 अक्टूबर 2008 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थानांतरण होने के साथ ही शासन के आदेश क्रमांक बी/1-5/2008/ एफ/4 रायपुर, दिनंक 27 अक्टूबर 2008 के द्वारा राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के पदस्थापना इस जिले में किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7481/अधीक्षक/2008, दिनांक 17-7-2008 को अधिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य निम्नानुसार कार्य बंटन/कार्य विभाजन किया जाता है.

1. **श्री पी. एल. निहालानी, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी**

   1. अपर कलेक्टर (नजूल)

   2. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतनवृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.

3. नोडल अधिकारी (खाद्य शाखा).

4. नगर सेना.

5. पासपोर्ट.

प्रभारी अधिकारी

1. लायसेंस.

2. भू-अर्जन/भूमि बंटन.

3. सांख्य लिपिक.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

2. **श्री आर. एक्का, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर**

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य).

2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय).

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

3. **श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. भू-अभिलेख.

2. व्यवहारवाद.

3. राजस्व आंकिक.

4. अल्प बचत.

5. पर्यावरण शाखा.

6. सूचना के अधिकार.

7. सहायक अधीक्षक (विविध).

8. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण.

9. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

4. **सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. जिला नाजिर.
2. प्रतिलिपि शाखा.
3. प्रपत्र/लेखन सामग्री एवं मुद्रण.
4. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल.
5. नोडल अधिकारी ब्रिक्स.
6. आवक-जावक.
7. वरिष्ठ लिपिक/अति. वरिष्ठ लिपिक.
8. राजस्व मोहर्रिर.
9. सहायक अधीक्षक राजस्व.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

5. **श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. सिटी मजिस्ट्रेट.
2. सत्कार अधिकारी.
3. नजूल अधिकारी.
4. भाड़ा नियंत्रक.
5. वाचक कलेक्टर.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

6. **श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा.
2. वित्त एवं स्थापना.
3. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच.
4. जनदर्शन/जनसम्पर्क.

5. विशेष कक्ष.

6. स्वास्थ्य शाखा (कलेक्टर कार्यालय).

7. प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन.

8. सहायक अधीक्षक सामान्य.
(पुरातत्व एवं पर्यटन, आर. बी. सी. के प्रकरण, सालेशियम फंड/संजीवनी)

9. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम.

10. आपदा एवं राहत शाखा.

11. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी.

12. दंगा पीड़ित 1984.

13. कम्प्यूटर शाखा.

14. नवोदय विद्यालय.

15. सिटीजन हेल्प लाईन.

16. जिला शहरी विकास अभिकरण.

17. 20 सूत्रीय कार्यक्रम.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

7. **श्री रामजी साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा**

1. **राजस्व**

   1. अनुविभागीय अधिकारी.
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान.
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण.
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी.
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी.
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा.
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज.
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी.
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

2. **आपराधिक**

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

8. **श्री घनश्याम ध्रुव, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कटघोरा**

1. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. **आपराधिक**

1. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर	श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर
2.	श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर
3.	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर
4.	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर
5.	श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर	श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर
7.	श्री घनश्याम ध्रुव, अ. वि. अ. कटघोरा	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर
8.	श्री रामजी साहू, अ. वि. अ. कोरबा	श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th November 2008

No. 79 C Mis/1-7-3/2008 (Pt.-I).—20th Noember, 2008 is declared holiday for the High Court and Registry, on account of General Election for the Legislative assembly in Bilaspur constituency.

By the order of the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.